**निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक– 08.01.2025 (बुधवार) को अपराहन् 04:00 बजे से V.C के माध्यम से आहूत विभागीय (दक्षिणी बिहार) समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–**

**उपस्थिति :–**

**V.C के माध्यम से।**

1. सभी जिलों को ईंट भट्ठों का ससमय निरीक्षण किये जाने का निदेश दिया गया, ताकि असंचालित एवं संचालित ईंट भट्ठों की विवरणी संबंधित जिला खनन कार्यालय में संधारित रहे।
2. सभी खान निरीक्षकों एवं खनिज विकास पदाधिकारियों को अबंदोबस्त क्षेत्रों, भंडारण अनुज्ञप्तियों, बंदोबस्त क्षेत्रों एवं परिवहन के दृष्टिकोण से संवेदनशील मार्गों का प्रतिदिन नियमित निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।
3. सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि खान निरीक्षकों के द्वारा की गई छापेमारी का दैनिक प्रतिवेदन (Daily Report) अगले दिन पूर्वा0 11:00 बजे तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
4. खान निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण/छापेमारी के दौरान साक्ष्य के रूप में खननसॉफ्ट ऐप के माध्यम से जियो–टैग फोटोग्राफ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। खान निरीक्षकों एवं खनिज विकास पदाधिकारियों के मासिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु खननसॉफ्ट ऐप के माध्यम से प्रमाणित छापेमारी की संख्या की गणना की जाएगी।
5. सभी जिलों को कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर से प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) तीन से चार दिनों के अन्दर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
6. CTO प्राप्त बालूघाटों का यथाशीघ्र संचालन सुनिश्चित कराने का निदेश सभी संबंधित जिलों को दिया गया। नवगठित SEIAA, Bihar एवं SEAC, Bihar की बैठक नियमित रूप से आयोजित हो रही है। सभी जिलें संबंधित बालूघाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु सभी प्रक्रियाएं नियमों के द्वारा निर्धारित समय–सीमा में निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. NIC के द्वारा खननसॉफ्ट ऐप में Inspection Module तैयार किया गया है, जिसपर सभी जिलों के द्वारा फीडबैक दिया जाना है। NIC को शीघ्र खननसॉफ्ट ऐप में Inspection Module लॉन्च करने का निदेश दिया गया।
8. खनन पट्टों के एकरारनामा निष्पादन की तिथि से प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित कैपिंग ऑटोमैटिक खननसॉफ्ट पोर्टल पर संबंधित खनन पट्टे के आई0डी0 में प्रविष्ट हो जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु NIC को निदेशित किया गया। वर्त्तमान में संबंधित खनिज विकास पदाधिकारियों द्वारा मैनुअल कैपिंग प्रविष्ट करने की व्यवस्था NIC द्वारा उक्त ऑटोमैटिक प्रावधान क्रियान्वित किये जाने तक ही रहेगी।
9. सभी बालूघाटों पर Geo Fencing Implement करने का निदेश NIC को दिया गया।
10. DMF पोर्टल पर सभी जिलों को अद्यतन आंकड़े अपलोड करने का निदेश दिया गया। साथ ही, DMF मद से सभी जिलों के द्वारा Innovative Scheme का चयन का निदेश दिया गया।

11. NIC को हर जिले के प्रत्येक खनन पट्टे का Lease Profile Portal तैयार करने का निदेश दिया गया, जिसमें उस बालूघाट से संबंधित समेकित विवरणी एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की व्यवस्था हो।

12. जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक, खान
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 619 /एम0,पटना दिनांक 31/01/25

प्रतिलिपिः Project Co-ordinator, NIC/ I.T. Manager को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक, खान
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 619 /एम0,पटना दिनांक :– 31/01/25

प्रतिलिपि :– सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक, खान
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार, पटना।